दिनांक 01.07.2017 से दिनांक 31.07.2017 तक चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत् आयोजित Interactive School Engagement Programme का Question Bank with Answer

---

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम :- 31-गाण्डेय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र।
आयोजन स्थल :- जवाहर नवोदय विद्यालय, गाण्डेय
तिथि :- 19.07.2017 (बुधवार)

प्रश्न संख्या 01- बी.एल.ओ. कौन होता है ?

उत्तर :- निर्वाचन व्यवस्था के प्रशासनिक तंत्र में मतदान केन्द्रों में नियुक्त अधिकारी को बूथ लेवल ऑफिसर (बी.एल.ओ.) कहते हैं। निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के द्वारा स्थानीय सरकारी/अर्द्धसरकारी कर्मियों को प्रत्येक मतदान केन्द्र पर बी.एल. ओ. के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाता है। वस्तुतः बी.एल.ओ. भारत निर्वाचन आयोग के आधारभूत स्तर (Gross root level) के प्रतिनिधि होते हैं जो अपने आवंटित मतदान क्षेत्र में निर्वाचक सूची हेतु वास्तविक स्थानीय सूचनाएं एकत्रित करने तथा निर्वाचक सूची के पुनरीक्षण की प्रकिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

प्रश्न संख्या 02- राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया क्या होता है ?

उत्तर :- राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य शामिल होते हैं :-
(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और
(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली तथा संघ शासित क्षे पुडुचेरी सहित सभी राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य।

संविधान के अनुच्छेद 55 (3) के आलोक में राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संकमणीय मत द्वारा होता है। इस निर्वाचन में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है। इस प्रणाली के तहत् निर्वाचक द्वारा अभ्यर्थियों के नामों के सामनें अधिमानता के अनुरुप अपना मतदान करते हैं।

प्रश्न संख्या 03- प्रपत्र 6, 6क , 7, 8 एवं 8क क्या है ?

<u>उत्तर :-</u> मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने, हटाने एवं पूर्व की प्रविष्टि के विशिष्टियों में किसी प्रकार की विधमान त्रुटि को निराकरण हेतु आयोग द्वारा प्रपत्र तैयार किया गया है जैसे :-
प्रपत्र 6- मतदाता सूची में प्रथम बार नाम जोइने के लिए,
प्रपत्र 6 क- अप्रवासी भारतीयों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने के लिए
प्रपत्र 7 - मतदाता सूची से नाम विलोपित (हटाने) के लिए,
प्रपत्र 8 - मतदाता सूची में दर्ज नाम के प्रविष्टियों की शुद्धि के लिए,
प्रपत्र 8 क- किसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक मतदान केन्द्र से दूसरे मतदान केन्द्र में स्थानान्तरण के लिए।

प्रश्न संख्या 04- वोटर कार्ड में आधार नंबर क्यों नहीं जोड़ा जाता है ?

<u>उत्तर :-</u> मतदाता सूची में आधार नंबर की प्रविष्टि हेतु आयोग द्वारा NERPAP अभियान चलाया गया था जिसके तहत् इस जिला में लगभग 1014440 मतदाताओं का आधार नंबर मतदाता सूची से संबद्ध कर लिया गया था परंतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णय के आलोक में आधार नंबर को मतदाता सूची से लिंक करने की कार्रवाई को अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

प्रश्न संख्या 05– लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव एक साथ क्यों नही होता है ?

उत्तर :– लोकसभा चुनाव संपूर्ण भारत में एकसाथ ही संपन्न किया जाता है परंतु विधानसभा चुनाव का कार्यकाल प्रत्येक राज्य हेतु अलग–अलग होता है जिसके कारण से लोकसभा एवं विधानसभा का चुनाव एक साथ वर्तमान में संपन्न नही होता है। परंतु केन्द्र सरकार एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस संदर्भ में सार्थक प्रयास किया गया है और यह संभव है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2019 के साथ ही राज्यों की विधानसभा चुनाव भी संपन्न करा लिया जाय।

प्रश्न संख्या 06– क्या बेघर लोगों का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाता है?

उत्तर :– हॉ। आयोग के निदेशानुसार बेघर लोगों का नाम भी मतदाता सूची में सम्मिलित किया जाता है। परंतु ऐसे व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित करने में यह कठिनाई होती है कि उन्हें उनके रात्रि विश्राम के आधार पर प्रपत्र तो उन्हें उपलब्ध करा दिया जाता है परंतु जब उनसे भरा हुआ प्रपत्र प्राप्त करने की कोशिश की जाती है तो वह उक्त स्थल पर उपलब्ध नही रहते हैं जिसके कारण से बहुत ही कम ऐसे व्यक्तिओं का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो पाता है।

प्रश्न संख्या 07– राष्ट्रपति पद हेतु अभ्यर्थी की योग्यता क्या होती है ?

उत्तर :– भारत में राष्ट्रपति पद हेतु अभ्यर्थी की निर्धारित न्यूनतम अर्हता निम्नवत है :–

(1) वह भारत का नागरिक हो,

(2) उसकी आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो,

(3) वह किसी लाभ पद को धारित नही करता हो।

प्रश्न संख्या 08– आवेदक द्वारा आवेदित किये गये प्रपत्र के संबंध में निर्वाचन तंत्र (निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों) द्वारा किये गये कार्रवाई अर्थात प्रपत्र की स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी आवेदक को कैसे प्राप्त होती है?

उत्तर :– जब किसी आवेदक द्वारा मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने या इससे संबंधित किसी भी अन्य प्रकार का प्रपत्र आवेदित किया जाता है तो निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों द्वारा इसपर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के तहत् विधिवत कार्रवाई करते हुये इसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है जिसकी सूचना आवेदक को डाक से या उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये मोबाईल नंबर पर SMS के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है।

प्रश्न संख्या 09– चुनाव की प्रकिया की संक्षिप्त जानकारी दें?

उत्तर :– लोकसभा या विधानसभा चुनाव के तैयारी के निमित्त सर्वप्रथम आयोग द्वारा चुनाव की अधिसूचना लोकसभा चुनाव की स्थिति में माननीय राष्ट्रपति और विधानसभा की स्थिति में महामहिम राज्यपाल की स्वीकृति के उपरांत जारी किया जाता है। इसके उपरांत आयोग द्वारा निर्धारित तिथि एवं समय के अनुरूप निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा अभ्यर्थियों से नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किया जाता है, इसके उपरांत नाम निर्देशनों पत्रा की संवीक्षा की जाती है और अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि के उपरांत वेद्य अभ्यर्थियों के बीच चुनाव चिन्ह् आवंटित किया जाता है। मतदान की तिथि को सभी मतदान केन्द्रों पर मतदान होने के उपरांत पोल्ड ई.वी.एम./बैलेट बॉक्स पूर्व चिन्हित वज्रगृह में लाया जाता है एवं मतगणना की तिथि तक पूर्ण सुरक्षा में रखा जाता है। मतगणना की तिथि को वज्रगृह से पोल्ड ई.वी.एम./बैलेट बॉक्स मतगणना हॉल में लाकर मतगणना की जाती है एवं विजय अभ्यर्थी को तत्संबंधी प्रमाण पत्र दिया जाता है।